



CENTRAL SILK BOARD  
BANGALORE – 560 068



**APPLICATION FOR LICENCING USE OF VANYA SILK LOGO FOR GENERIC AND BRAND PROMOTION**

- 1) NAME AND ADDRESS OF THE FIRM :  
( Tel. No., Fax No. & e-mail address )
  
- 2) NAME AND DESIGNATION  
OF THE AUTHORISED SIGNATORY  
Tel. No.  
Mobile No.
  
- 3) NATURE OF BUSINESS: : MANUFACTURER / TRADER / RETAILER /  
EXPORTER
  
- 4) NATURE OF ORGANISATION : PROPRIETORSHIP / PARTNERSHIP / JOINT STOCK  
COMPANY / SOCIETY / APEX SOCIETY
  
- 5) YEAR OF ESTABLISHMENT :
  
- 6) ANNUAL TURNOVER :
  
- 7) SILK MARK AUTHORISED USER :  
MEMBERSHIP NUMBER  
(Enclose document copy)
  
- 8) VANYA SILK PRODUCTS  
MANUFACTURED / TRADED :

I/we have enclosed the DD No.....dated .....for **Rs.5000/-** towards the authorized user fee for 3 years, drawn in favor of **Member Secretary, CSB, VSMPC A /c.**

I / we hereby declare that the information furnished above by me / us are true and correct. I / we agree to abide by the term and conditions formulated by csb for using Vanya Silk Logo for generic and brand promotion of Vanya Silk products.

I / we hereby declare that we use the Vanya Silk Logo for generic and brand promotion of Vanya Silk products and not for quality assurance.

I/We agree to abide by the terms and conditions of the licence to be executed seperately

Place :

Signature of the Applicant

Date :

Name :

Designation :



## CENTRAL SILK BOARD BANGALORE – 560 068



### TERMS AND CONDITIONS FOR USING VANYA SILK LOGO FOR GENERIC AND BRAND PROMOTION

Central Silk Board (CSB), a Statutory Body created by an Act of Parliament viz., Central Silk Board Act, 1948, functioning under the administrative control of the Ministry of Textiles, Govt. of India, having its Board's Secretariat at Central Silk Board Complex, BTM Layout, Madivala, Bangalore-560 068 represented by its Member Secretary.

Central Silk Board is a R&D Organization and one of its predominant duties is to promote the development of Silk Industry in the country. The Board deals with all the five varieties of silk grown in the country namely Mulberry, Tasar, Oak Tasar, Muga and Eri. The four varieties of silks namely Tasar, Oak Tasar, Muga and Eri are collectively called by the name Vanya Silk. The Board has devised a Logo representing Vanya Silk for generic/brand promotion of Vanya Silk products and registered the said Logo as a Trade Mark with the Trade Mark Registry of Govt. of India under Trade Marks Act, 1999.

Central Silk Board has proposed to permit the use of said Vanya Trade Mark Logo by the authorized users of "Silk Mark Logo" involved in the manufacture/ trade/retail trade/export of Vanya Silk products. The Silk Mark Logo is also a registered trade mark of Silk Mark Organization of India sponsored by the Central Silk Board.

Central Silk Board has proposed to authorize the use of Vanya Silk Logo as a symbol for generic/brand promotion of Vanya Silk products has 100% vanya silk (Tasar, Oak Tasar, Muga and Eri) and also Vanya Silk products containing vanya silk mixed/blended with mulberry silk with more than 50% of vanya silk in the said product.

The Authorized User being a member of SMOI (Membership No. \_\_\_\_\_) and the authorized user of Silk Mark Logo has approached the Central Silk Board for authorizing to use the Vanya Silk Trade Mark for sale of Vanya silk products manufactured by the user. Central Silk Board has agreed to permit the Licensee to use its said Vanya Trade Mark to sell his Vanya silk products on following terms and conditions.

1. The Central Silk Board hereby authorizes non-exclusive right to use Central Silk Board's Vanya Silk Logo Trade Mark in India for generic/brand promotion of vanya silk products. An extract of the Vanya Silk Logo Trade Mark is enclosed as Annexure which forms part and parcel of this ToR. In consideration thereof, the Authorized user shall pay a License fee of Rs.5000/- to Central Silk Board by way of Demand Draft in favor of Member Secretary, Central Silk Board for a period of three years from the date the user is authorized to use the Vanya Silk Logo Trade Mark or the date of Terms and Conditions are signed whichever date is earlier.
2. The use of said trade mark by the Authorized User shall be confined only to the Vanya Silk products manufactured or produced by him with 100% Vanya Silk namely Tasar, Oak Tasar, Muga and Eri and or Vanya Silks mixed/blended with mulberry silk using more than 50% of Vanya Silk.
3. The said trade mark shall not be depicted as a symbol of quality assurance. The Authorized User should use the Vanya Silk Trade Mark in its original form (shape, style, size, colour combinations) as a symbol only for generic / brand promotion of Vanya Silk products as indicated below: It should not be otherwise represented or misused or misrepresented. The Authorized User shall not authorize any other third party to use the said trade mark. It is not transferable.

4.



i) Class 16- in respect of Paper and paper articles, Card board and cardboard articles, printed matter, News papers and periodicals, Books, Book binding material, Photographs, Pamphlets, Bill books, Visiting cards, Menu cards, Brochure, Advertisement, Newspaper magazines, Stationery, Envelopes, Business cards, Conference manuals and Brochures and Calendars,

ii) Class 24- Silk sarees, Tissues, Piece goods, Bed and table covers, Textile articles

iii) Class 25 - in respect of readymade garments and Hosiery.

iv) Class 35- in respect of Advertising, Business management, Business administration, Office functions.

v.) Class 40 - in respect of Treatment of materials.

5. The Authorized User shall comply with the requirements and provisions of all laws, rules and regulations in relation to production of vanya silk products and sale thereof under the said trade mark of Central Silk Board. CSB is no way responsible or liable in the event of any violation.
6. The authorized representative of the Central Silk Board shall have access to the premises of the Authorized User where the Vanya Silk products are produced to ensure that the Licensee is using trade mark of vanya silk on the products whose composition is as specified in these presents. The Central Silk Board has liberty to check the silk goods belonging to the Authorized User marked with Vanya Silk Logo to ensure its purity/purity of the blend. Any discrepancy or violation can be brought to the notice of the Licensee for immediate correction.
7. The Central Silk Board shall take and/or permit the Authorized User to take all possible legal steps for the protection and preservation of Vanya Silk trade mark and prevention of infringement by any person.
8. The Authorized User shall inform the Central Silk Board any infringement of the Vanya Silk trade mark with particulars of infringement and names and addresses of the offenders.
9. The Authorized User shall not use any other mark resembling the Vanya Silk Trade Mark Logo which has the effect of causing confusion to the user/consumer. He has no right to unauthorized use or permits the use of said Vanya Silk trade mark by others unauthorized.
10. The Authorized User shall not acquire any right of registration of the Vanya Silk trade mark by virtue of permitting him to use the same as a user/licensee.
11. The Authorized User undertakes to compensate the Central Silk Board and keep the latter harmless from and indemnified against all claims, proceedings, losses, costs and expenses for any willful or negligent conduct of the Authorized User in relation to the use of the Vanya Silk Trade Mark.

12. The Central Silk Board shall not be responsible or liable for any claims of the third party arising on account of misuse of Vanya Silk Logo or unauthorized use of the said Logo by the Authorized User
13. If the Authorized User is found to use the Vanya Silk trade mark unauthorized or commits any act leading to wrongful use of the said trade mark or commits breach of any of the terms and conditions contained in these presents, the Central Silk Board shall forthwith revoke the permission granted under this presents without notice. He shall also be restrained forthwith from using the said trade mark for any of his products or permit the use thereof by any of his representatives or agents, besides initiating such other action as may be deemed fit as per prevailing law/rules.
14. The Authorized User may continue to use the logo after 3 years on renewal with the consent of both the parties on the mutual agreed terms and conditions and also at the enhanced rate of Authorized user fee fixed under these presents.
15. The use of Vanya silk logo by Authorized User is terminable by efflux of time of three years from the date of permission given. The use of Vanya silk logo by Authorized User is otherwise also terminable by Central Silk Board by giving one months' prior notice to the Authorized User without giving reasons for such termination.
16. In the event of Authorized Use of Vanya silk logo gets terminated either of efflux of time or otherwise as under clause-12 & 14 above, the Authorized User shall be prohibited / restrained from using the said Vanya Trade Mark on the Vanya products produced by him.
17. In any clarification of doubts arising under these presents, the decision of the Member Secretary, Central Silk Board or the committee is appointed by him/her in this behalf as the case may be shall be final and binding on the Authorized User.

**I / We agree to the above Terms and Conditions.**

Authorized User

Signature

Name

Company Name & Address

Witnesses

(Signature, Name & Address)

1)

2)

**Central Silk Board  
Bangalore**

**Vanya Silk Logo**



*Eco friendly Indian silks*

Central Silk Board has registered the Vanya Silk Logo with Trade Mark Authority, Govt. of India under Trade Mark Act, 1999, Section 23(2), Rule 62 (I) in the following 5 classes.

- 1) Class 16 - in respect of Paper and paper articles, Card board and cardboard articles, printed matter, News papers and periodicals, Books, Book binding material, Photographs, Pamphlets, Bill books, Visiting cards, Menu cards, Brochure, Advertisement, Newspaper magazines, Stationery, Envelops, Business cards, Conference manuals and Brochures and Calendars,
- 2) Class- 24- in respect of Silk sarees, Tissues, Piece goods, Bed and table covers, Textile articles
- 3) Class 25 –in respect of Readymade garments and Hosiery.
- 4) Class – 35 in respect of Advertising, Business management, Business administration, Office functions.
- 5) Class – 40 - in respect of Treatment of materials.

**Vanya Silk Logo is a symbol that represents the Non mulberry silks (Vanya silks) and is to be used for generic and brand promotion of Vanya silks and not as a quality assurance mark / label.**



केन्द्रीय रेशम बोर्ड  
CENTRAL SILK BOARD  
बेंगलूरु BANGALORE – 560 068



वंश एवं ब्रांड के संवर्धन के लिए वन्य रेशम शब्द चिह्न(लोगो)का उपयोग करने का  
लाइसेन्स का आवेदन-पत्र  
APPLICATION FOR LICENCING USE OF VANYA SILK LOGO FOR GENERIC AND  
BRAND PROMOTION

- 1) फर्म का नाम व पता :  
NAME AND ADDRESS OF THE FIRM  
(दूरभाष सं.फैक्स सं एवं ई-मेल पता सहित)  
(Tel. No., Fax No. & e-mail address)
- 2) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम :  
NAME AND DESIGNATION  
OF THE AUTHORISED SIGNATORY  
  
दूरभाष सं. Tel. No.  
मोबाइल सं. Mobile No.
- 3) व्यवसाय की प्रकृति : निर्माता/व्यापारी/खुदरा व्यापारी/निर्यातक  
NATURE OF BUSINESS: : MANUFACTURER/TRADER/RETAILER/ EXPORTER
- 4) संगठन की प्रकृति : स्वामित्व/साझेदारी/संयुक्त स्टॉक कंपनी/समिति/  
शीर्ष समिति  
NATURE OF ORGANISATION : PROPRIETORSHIP/PARTNERSHIP/JOINT STOCK  
COMPANY/SOCIETY/APEX SOCIETY
- 5) स्थापना वर्ष :  
YEAR OF ESTABLISHMENT
- 6) वार्षिक कुल बिक्री :  
ANNUAL TURNOVER
- 7) रेशम मार्क अधिकृत प्रयोक्ता की सदस्यता :  
संख्या(दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)  
SILK MARK AUTHORISED USER MEMBERSHIP  
NUMBER (Enclose document copy)
- 8) निर्मित/व्यापार किया जाने वाला वन्य रेशम :  
उत्पाद  
VANYA SILK PRODUCTS MANUFACTURED/  
TRADED

मैंने/हमलोगों ने 3 वर्ष तक अधिकृत प्रयोक्ता के प्रति 5000/-रु. का डी डी सं. ....  
दिनांक ..... संलग्न किया है ।

I/we have enclosed the DD No.....dated .....for Rs.5000/- towards the  
authorized user fee for 3 years.

मैं/हमलोग घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मेरे/हमलोगों द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सत्य  
और सही है । मैं/हमलोग वन्य रेशम उत्पाद के वंश तथा मार्का (ब्राण्ड) के संवर्धन के लिए वन्य रेशम  
शब्द चिह्न (लोगों) का उपयोग करने के लिए केरेबो की बनाई गई निबंधन व शर्तों का पालन  
करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

I / we hereby declare that the information furnished above by me / us are true and correct. I /  
we agree to abide by the terms and conditions formulated by csb for using Vanya Silk Logo for  
generic and brand promotion of Vanya Silk products.

मैं/हमलोग एतद्वारा घोषित करता/करती/करते हैं कि मैं/हम वन्य रेशम शब्द चिह्न (लोगों) का  
उपयोग वन्य रेशम उत्पाद के वंश तथा मार्का (ब्राण्ड) के संवर्धन के लिए करूँगा/करूँगी/करेंगे और गुणवत्ता  
आश्वासन के लिए नहीं ।

I / we hereby declare that I/we use the Vanya Silk Logo for generic and brand promotion of  
Vanya Silk products and not for quality assurance.

मैं/हमलोग अलग से निष्पादित किए जाने वाले लाइसेन्स विलेख की निबंधन व शर्तों का पालन  
करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

I/We agree to abide by the terms and conditions of the licence deed to be executed  
separately.

स्थान Place :

आवेदक का हस्ताक्षर

Signature of the Applicant :

दिनांक Date :

नाम Name :

पदनाम Designation :



## केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूर 560 068



### वंश तथा ब्राण्ड के संवर्धन के लिए वन्य रेशम लोगो के उपयोग संबंधी शर्तें व निबंधन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (केरेबो), संसद के अधिनियम अर्थात् केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, जिसका सचिवालय केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बी टी एम लेआउट, मडिवाला, बंगलूर - 560 068 में है, जिसका प्रतिनिधित्व सदस्य-सचिव द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड एक अनुसंधान व विकास संगठन है तथा इसका प्रमुख कार्य देश में रेशम उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। देश में उत्पादित किए जाने वाले रेशम की सभी पाँचों उपजातियों अर्थात् शहतूत, तसर, ओक तसर, मूगा एवं एरी संबंधी कार्य करता है। रेशम की चारों उपजातियों अर्थात् तसर, ओक तसर, मूगा एवं एरी को सामूहिक रूप से वन्य रेशम कहा जाता है। बोर्ड ने वन्य रेशम उत्पादों के वंश ब्राण्ड के संवर्धन के लिए वन्य रेशम के प्रतीक के रूप में एक शब्द चिह्न (लोगो) बनाया है तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने उक्त शब्द चिह्न को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारत सरकार के व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में व्यापार चिह्न के रूप में पंजीकृत किया है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वन्य रेशम उत्पादों के निर्माण/व्यापार/खुदरा व्यापार/निर्यात में लगे हुए लोगों को "रेशम मार्क लोगो" के अधिकृत प्रयोक्ता द्वारा उक्त वन्य व्यापार चिह्न के शब्द चिह्न (ट्रेड मार्क लोगो) को उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। रेशम मार्क शब्द चिह्न (लोगो) भी केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रायोजित भारतीय रेशम मार्क संगठन का पंजीकृत व्यापार चिह्न है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वन्य रेशम उत्पाद के 100% वन्य रेशम (तसर, ओक तसर, मूगा एवं एरी) वाले तथा उक्त उत्पाद में 50% से अधिक वन्य रेशम शहतूती रेशम के साथ मिश्रित/सम्मिश्रित वन्य रेशम हो, ऐसे वन्य रेशम उत्पादों के वंश/ब्राण्ड के संवर्धन के लिए एक प्रतीक के रूप में वन्य रेशम शब्द चिह्न (लोगो) का उपयोग करने के लिए लाइसेन्स करने का प्रस्ताव किया है।

प्राधिकृत प्रयोक्ता भारतीय रेशम मार्क संगठन के सदस्य होने के नाते (सदस्यता सं. \_\_\_\_\_) तथा रेशम मार्क के शब्द चिह्न (लोगो) के अधिकृत प्रयोक्ता ने उक्त प्राधिकृत प्रयोक्ता द्वारा निर्मित वन्य रेशम उत्पादों की बिक्री के लिए वन्य रेशम व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड से संपर्क किया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों पर लाइसेन्सधारी के उत्पाद की बिक्री के लिए उक्त वन्य व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का उपयोग करने के लिए लाइसेन्सधारी को अनुमति देने की सहमति दी है।

1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड वन्य रेशम उत्पादों के वंश/ब्राण्ड के संवर्धन के लिए भारत में केन्द्रीय रेशम बोर्ड का वन्य रेशम शब्द चिह्न (लोगो) का व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का उपयोग का गैर-अनन्य अधिकार एतद्वारा प्राधिकृत करता है। वन्य रेशम शब्द चिह्न (लोगो) के व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का सार अनुबंध के रूप में संलग्न है, जो इस विचाराधीन विषय का एक अनिवार्य अंग है। इसके प्रतिफल स्वरूप प्राधिकृत प्रयोक्ता सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के नाम पर निकाले गये डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से केन्द्रीय रेशम बोर्ड को 5000/-रु.का लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा, जो वन्य रेशम शब्द चिह्न (लोगो) व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत प्रयोक्ता को अधिकृत करने की तारीख या शर्त व निबंधन हस्ताक्षर करने की तारीख, जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।
2. प्राधिकृत प्रयोक्ता द्वारा उक्त व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का उपयोग केवल 100% वन्य रेशम अर्थात् तसर, ओक तसर, मूगा एवं एरी या 50% से अधिक वन्य रेशम का उपयोग करके शहतूती रेशम के साथ मिश्रित/सम्मिश्रित वन्य रेशम से निर्मित या उनके द्वारा उत्पादित वन्य रेशम उत्पाद तक सीमित होगा।
3. उक्त व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) को गुणवत्ता आश्वासन के प्रतीक के रूप में चित्रित नहीं किया जाएगा। प्राधिकृत प्रयोक्ता वन्य रेशम व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का उपयोग इसके मूल रूप (आकृति, शैली, आकार, रंग संयोजन) में वन्य रेशम उत्पादों के निम्नानुसार वंश/ब्राण्ड के संवर्धन के लिए प्रतीक के रूप में करें तथा इसे अन्य रूप में प्रस्तुत या दुरुपयोग या इसका अयथार्थ रूप प्रस्तुत न करे। प्राधिकृत प्रयोक्ता उक्त व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) के उपयोग के लिए कोई तीसरी पार्टी को अधिकृत नहीं करेगा। यह अहस्तांतरणीय है।



=2=



- i) खण्ड 16- कागज़ तथा कागज़ सामग्री, कार्डबोर्ड एवं कार्ड बोर्ड सामग्री, मुद्रित सामग्री, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, किताबें, बाइण्ड करने की सामग्री, फोटोग्राफ, पत्रक, बिल बुक, विसिटिंग कार्ड, मेनुकार्ड, विवरणिका, विज्ञापन, लेखन सामग्री, लिफाफा, बिसिनेस कार्ड, सम्मेलन मैनुअल एवं विवरणिका एवं कलैण्डर से संबंधित ।
  - ii) खण्ड24- रेशम साड़ी, टिश्यूज, टुकडा माल, बेड एवं टेबुल कवर, वस्त्र सामग्री से संबंधित ।
  - iii) खण्ड25 - बनेबनाए वस्त्र एवं होज़री के संबंध में ।
  - iv) खण्ड35 - विज्ञापन, बिसिनेस प्रबंधन, बिसिनेस प्रशासन, कार्यालय प्रकार्य से संबंधित ।
  - v) खण्ड40 - सामग्री के उपचार के संबंध में ।
4. प्राधिकृत प्रयोक्ता केन्द्रीय रेशम बोर्ड के उक्त व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) के अंतर्गत वन्य रेशम उत्पादों के उत्पादन एवं इसकी बिक्री से संबंधित सभी विधियों, नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं तथा प्रावधानों का अनुपालन करेगा । किसी भी अतिक्रमण के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।
  5. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकृत प्रतिनिधि को लाइसेन्सधारी द्वारा वन्य रेशम के व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का उपयोग इन विलेख में निर्धारित संघटन के उत्पादों पर किया जाता है, को सुनिश्चित करने के लिए उनके परिसर में जाने का अधिकार होगा । केन्द्रीय रेशम बोर्ड को उत्पाद की शुद्धता/मिश्रण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए वन्य रेशम शब्द चिह्न (लोगो) लगे प्राधिकृत प्रयोक्ता के रेशम वस्तुओं का निरीक्षण करने की स्वतन्त्रता है । किसी अनियमितता या उल्लंघन को अविलंब सुधार के लिए लाइसेन्सधारी के ध्यान में लाया जा सकता है ।
  6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड वन्य व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का संरक्षण तथा परिरक्षण एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उल्लंघन को रोकने के लिए सभी संभव कानूनी कदम उठाएगा और/या सभी संभव कानूनी कदम उठाने के लिए प्राधिकृत प्रयोक्ता को अनुमति देगा ।
  7. प्राधिकृत प्रयोक्ता वन्य व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) के किसी भी उल्लंघन को, उल्लंघन के विवरण तथा अपराधी (धियों)के नाम व पता सहित केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सूचित करेगा ।
  8. प्राधिकृत प्रयोक्ता वन्य रेशम व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) शब्द चिह्न (लोगो) के सदृश किसी अन्य चिह्न (मार्क) का उपयोग नहीं करेगा जिससे प्रयोक्ता/उपभोक्ता में उलझन हो । उसे उक्त रेशम व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का अनधिकृत रूप से उपयोग करने या दूसरों को अनधिकृत रूप से उपयोग करने देने का कोई अधिकार नहीं है ।
  9. प्राधिकृत प्रयोक्ता को प्रयोक्ता/लाइसेन्सधारी के रूप में इसे उपयोग करने की अनुमति उन्हें देने के आधार पर वन्य रेशम व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) के पंजीकरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।
  10. प्राधिकृत प्रयोक्ता केन्द्रीय रेशम बोर्ड को क्षति की प्रतिपूर्ति करने तथा पिछले को वन्य रेशम व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) के उपयोग के संबंध में प्राधिकृत प्रयोक्ता के किसी जानबूझकर या लापरवाह आचरण के लिए सभी दावों, कार्यवाहियों, हानियों, लागतों तथा व्यय से हानि रहित रखने और इस पर दोषरहित रखने का वचन देता है ।
  11. केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्राधिकृत प्रयोक्ता द्वारा वन्य रेशम शब्द चिह्न (लोगो) के दुरुपयोग या उक्त शब्द चिह्न (लोगो) के अनधिकृत उपयोग के कारण तृतीय दल के किए जाने वाले दावे के उत्तरदायी तथा दायी नहीं होगा ।

=3=

12. यदि प्राधिकृत प्रयोक्ता को वन्य व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का अनधिकृत उपयोग करते या व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का गलत उपयोग करते या इस विलेख में लिखित निबंधन व शर्तों को भंग करते पाया जाता है, तो केन्द्रीय रेशम बोर्ड सूचना दिए बिना इस विलेख के अंतर्गत दी गई अनुमति को तत्काल रद्द कर देगा। उसके विरुद्ध विद्यमान विधि/नियम के अनुसार, जैसा उचित समझा जाए, ऐसी अन्य कार्रवाई करने के अलावा उसके किन्हीं उत्पादों के लिए उक्त व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) के उपयोग या उसके प्रतिनिधियों या अभिकर्ताओं (एजेंटों) द्वारा उसके उपयोग की अनुमति को भी रद्द कर दिया जाएगा।
13. प्राधिकृत प्रयोक्ता आपसी सहमत निबंधन व शर्तों पर और इन विलेखों में निर्धारित बढ़ाए गए प्राधिकृत प्रयोक्ता शुल्क पर भी दोनों दलों की सहमति के साथ नवीनीकरण पर तीन वर्ष की अवधि के बाद भी प्राधिकृत प्रयोक्ता के रूप में इस लोगो का उपयोग करना जारी रख सकता है।
14. प्राधिकृत प्रयोक्ता द्वारा वन्य रेशम लोगो का उपयोग दी गई अनुमति तारीख से तीन वर्ष बीत जाने पर समाप्त किया जा सकता है। प्राधिकृत प्रयोक्ता द्वारा वन्य रेशम लोगो का उपयोग अन्यथा भी केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा ऐसी समाप्ति के कारण प्राधिकृत प्रयोक्ता को बताए बिना एक महीने की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।
15. समय बीत जाने के बाद या अन्यथा खण्ड -12 एवं 14 में दिए गए अनुसार वन्य रेशम लोगो के प्राधिकृत प्रयोग समाप्त होने की स्थिति में प्राधिकृत प्रयोक्ता को उसके द्वारा उत्पादित वन्य रेशम उत्पादों पर उक्त वन्य व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) के उपयोग पर रोक लगा दिया जाएगा/सीमित कर दिया जाएगा।
16. इस विलेख में होने वाले किसी भी संदेह के स्पष्टीकरण में, सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड या इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त समिति, जैसी स्थिति हो, का निर्णय अंतिम और प्राधिकृत प्रयोक्ता को ग्राह्य होगा।

**मैं/हम उपरोक्त शर्त व निबंधन से सहमत हूँ।**

प्राधिकृत प्रयोक्ता

हस्ताक्षर

नाम

कंपनी का नाम व पता

साक्षी

(हस्ताक्षर, नाम व पता )

1.

2.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड  
बेंगलूरु

वन्य रेशम लोगो



पारि स्नेही इंडियन सिल्क

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वन्य रेशम लोगो को निम्नलिखित 5 खण्डों में ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999, धारा 23(2), नियम 62(I) के अधीन ट्रेड मार्क प्राधिकरण, भारत सरकार के साथ पंजीकृत किया है ।

- 1) खण्ड 16- कागज़ तथा कागज़ सामग्री, कार्डबोर्ड एवं कार्ड बोर्ड सामग्री, मुद्रित सामग्री, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, किताबें, बाइण्ड करने की सामग्री, फोटोग्राफ, पत्रक, बिल बुक, विसिटिंग कार्ड, मेनुकार्ड, विवरणिका, विज्ञापन, लेखन सामग्री, लिफाफा, बिसिनेस कार्ड, सम्मेलन मैनुअल एवं विवरणिका एवं कलैण्डर से संबंधित ।
- 2) खण्ड 24- रेशम साड़ी, टिश्यूज़, टुकडा माल, बेड एवं टेबुल कवर, वस्त्र सामग्री से संबंधित ।
- 3) खण्ड 25 - बनेबनाए वस्त्र एवं होज़री के संबंध में ।
- 4) खण्ड 35 - विज्ञापन, बिसिनेस प्रबंधन, बिसिनेस प्रशासन, कार्यालय प्रकार्य से संबंधित ।
- 5) खण्ड 40 - सामग्री के उपचार के संबंध में ।

वन्य रेशम लोगो चिह्न गैर शहत्त रेशम (वन्य रेशम) का प्रतिनिधित्व करता है और इस का उपयोग वन्य रेशम के वंश व ब्राण्ड संवर्धन के लिए किया जाना है, न कि गुणवत्ता आश्वासन मार्क/लेबुल के रूप में ।